

न्यायालय:-द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)  
श्रृंखला न्यायालय बैहर  
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

**सत्र प्रकरण क्रमांक-45/2017**

Filing No. ST/100/2017

CNR MP50050002442017

संस्थित दिनांक-21.06.2016

म0प्र0 शासन द्वारा :-

आरक्षी केन्द्र-बिरसा

तहसील बैहर जिला बालाघाट - - - - - **अभियोजन ।**

**// विरुद्ध //**

कुंवरसिंह पिता छरकू परते जाति गोंड उम्र 38 वर्ष

निवासी-ग्राम नव्ही पोस्ट पाथरी थाना मलाजखण्ड

तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - **अभियुक्त ।**

=====

श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. वास्ते अभियोजन ।

श्री वैभव मिश्रा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त-कुंवरसिंह

=====

**- // // निर्णय // // -**

(आज दिनांक **09 नवम्बर 2017** को घोषित)

1. अभियुक्त कुंवरसिंह पर आरोप है कि उसने दिनांक 18.05.2016 को ग्राम जैरासी थाना बिरसा जिला बालाघाट में स्वयं की अवयस्क पुत्री अभियोक्त्री जिसकी जन्म तारीख 07.12.2005 है, के साथ धारा 375 (क) भा.द. वि. में अभिव्यक्त अनुसार कृत्य अभियुक्त द्वारा किए जाते समय अभियोक्त्री की आयु 10 वर्ष 5 माह 12 दिन थी, के साथ जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार किया। जो धारा 376 (2) (K), 506 भा.द.वि. एवं 5ड/6, 5ढ/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन दण्डनीय अपराध है, का विचारण किया गया है।

2. मामले में स्वीकृत तथ्य यह है कि सरस्वती (अ.सा.1), अभियोक्त्री (अ.सा.2), देशरी (अ.सा.3), भूरियाबाई (अ.सा.5), दुर्गाप्रसाद (अ.सा.14) का कहना है कि वे अभियुक्त को पहचानते हैं। सरस्वती (अ.सा.1) का कहना है कि अभियुक्त उसका पति है वह ग्राम जैरासी में रहकर मेहनत मजदूरी का काम करती है। दशरी (अ.सा.4) का कहना है कि आरोपी कुंवरसिंह उसके पिता है, अभियोक्त्री छोटी बहन है, मां का नाम सरवंतीबाई है। रूनियाबाई (अ.सा.5) का कहना है कि अभियुक्त उसकी बहन सरवंतीबाई का पति है तथा अभियोक्त्री कुंवरसिंह की पुत्री है।

3. अभियोजन के मामले का सार यह है कि पुलिस आरक्षी केन्द्र बिरसा में अभियोक्त्री ने अपनी मां एवं बड़ी मां रूनिया के साथ उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि वह कक्षा पांचवी में ग्राम जैरासी में पढ़ती है, परिवार में मां सरवंती, बड़ी बहन दशरी, भाई बैसाखू एवं छोटी बहन शांति रहते हैं। दिनांक 16.05.2016 दिन सोमवार को उसकी मां सरवंती छोटी बहन शांति को लेकर खूंटाटोलाधाम गई थी तथा दिनांक 18.05.16 को बड़ी बहन दशरी एवं भाई बैसाखू दिन में 10:00 बजे ग्राम मानिकपुर मामा के गांव में बारसा कार्यक्रम में गए थे, वह एवं पिता कुंवरसिंह घर पर थे। शाम करीब 6-7 बजे खाना बनाई, अपने पिता कुंवरसिंह के साथ खाना खाई एवं रात्रि 8:00 बजे घर के कमरे में सो गई पिता कुंवरसिंह घर की परछी में सोए थे। रात्रि में 9-10 बजे नींद में थी उसके पिता उसके पास आकर सो गया, उसकी चड्डी उतारकर उसके साथ बुरा काम किया, उसने कहा नहीं पापा, नहीं पापा तो कुंवरसिंह ने उसका मुंह दबा दिया, बुरा काम करने से वह बेहोश हो गई, सुबह होश में आयी तो पिता बोलने लगा कि तूने किसी को बताई तो टंगिया से खत्म कर दूंगा तब साक्षी ने डर के कारण घटना किसी को नहीं बताई, दिनांक 19.05.16 को उसकी बहन दशरी मामा गांव मानिकपुर से आयी तो चुपचाप

अपनी बहन दशरी को घटना बताई एवं शनिवार दिनांक 21.05.2016 को बड़ी मां रूनियाबाई उनके घर के पास जा रही थी तब बड़ी मां रूनियाबाई को बताई और डर के कारण अपनी बहन के साथ शनिवार को मानिकपुर मामा के घर चले गए। शाम को मां सरवती एवं बड़ी मां रूनिया मामा के गांव मानिकपुर आए मां को पिता द्वारा की गई घटना बताई, आज दिनांक 22.05.2016 को मां रशवती एवं बड़ी मां रूनिया के साथ थाना रिपोर्ट करने आयी है, रिपोर्ट करती हूँ, कार्यवाही की जावे।

4. उक्तानुसार रिपोर्ट लेख करने पर पुलिस थाना बिरसा में महिला प्रधान आरक्षक सुलेखा द्वारा प्रथम सूचना लेख कर अपराध क्रमांक 66/16 दिनांक 22.05.16 धारा 376 (1) (2) (I), 506 भा.द.वि. एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध अपराध कायम कर, अभियोक्त्री की, उसकी मां की सहमति चिकित्सा परीक्षण हेतु प्राप्त कर, चिकित्सा परीक्षण हेतु आवेदन तैयार कर महिला चिकित्सक से परीक्षण कराया गया, धारा 164 द.प्र.सं. के तहत साक्षीगण के कथन कराए गए, नक्शामौका बनाया गया, पटवारी के द्वारा नक्शा तैयार करवाया गया है, जप्ती कार्यवाही की गई, आयु प्रमाण हेतु दाखिल खारिज पंजी की प्रति प्राप्त की गई, शाला प्रमाण पत्र जन्म तारीख बाबद प्राप्त किया गया। अभियोक्त्री का आसिफिकेशन टेस्ट कराया गया, जप्त संपत्तियां परीक्षण हेतु क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल म.प्र. भेजी गई, परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न की गई, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, उसका चिकित्सा परीक्षण कराया गया, गिरफ्तारी की सूचना दी गई, पश्चात् अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।

5. अभियुक्त को धारा 376(2)(K), 506 भा.द.वि. एवं 5ड/6, 5ढ/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत तैयार कर

पढ़कर, सुनाए, समझाए जाने पर अभियुक्त ने आरोप सुन, समझकर अपराध करना अस्वीकार किया, अभिवाक् लेख किया गया। अभियुक्त ने धारा 313 द.प्र. सं. के परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना, झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1- क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.05.2016 को ग्राम जैरासी थाना बिरसा जिला बालाघाट में स्वयं की अवयस्क पुत्री अभियोक्त्री जिसकी घटना के समय आयु 10 वर्ष 5 माह 12 दिन थी, को जान से मारने की धमकी देकर अभियोक्त्री के साथ धारा 375 (क) भा.द.वि. में अभिव्यक्त अनुसार कृत्य कर बलात्कार किया ?

विचारणीय प्रश्न का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

7. अभियोक्त्री (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 4 में साक्ष्य दी है कि उसकी कक्षा पांचवी की अकसूची पुलिस ने मांगी थी जो प्र.पी. 3 है जिसकी जप्ती प्र.पी. 4 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है।

8. श्रीमती सरवन्तीबाई (अ.सा.1) ने पद क्रमांक 1 में कथन किया है कि अभियोक्त्री साक्षी की बेटी की घटना के समय आयु 12 वर्ष की थी। सुरेन्द्र कुमार पटले (अ.सा.6) ने साक्ष्य दी है कि वह शासकीय प्राथमिक शाला जैरासी में दिनांक 29.07.2003 से शिक्षक के रूप में पदस्थ है। वर्तमान में उसी स्कूल में सहायक अध्यापक होकर प्रभारी प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ है। वह आज अपने साथ शासकीय प्राथमिक शाला जैरासी का दाखिल खारिज रजिस्टर क्रमांक 3 वर्ष 2001 से निरंतर वर्तमान तक का साथ लेकर आया है।

9. इसी साक्षी ने पद क्रमांक 2 में साक्ष्य दी है कि दाखिल खारिज रजिस्टर के सरल क्रमांक 670 से 1074 तक की प्रविष्टि है। इस पंजी के सरल क्रमांक 959 पर अभियोक्त्री पिता कुंवरसिंह का नाम दर्ज है उसकी जन्म तारीख 07.12.2005 अंकित है। अभियोक्त्री का स्कूल में दाखिला दिनांक 22.06.11 को

कक्षा पहली में हुआ था। शाला छोड़ने की तारीख 16.06.2016 है उसने कक्षा पांचवी उत्तीर्ण होने पर शाला स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना लेख है। असल रजिस्टर प्र.पी. 8 है जिसके ए से ए भाग पर अभियोक्त्री की संपूर्ण इबारत लेख है बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर तथा शाला छोड़ने की प्रविष्टि है। दाखला रजिस्टर की सत्यापित प्रति पूर्व से प्रकरण में संलग्न है जिसके सत्यापन बाबद ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। सत्यापित प्रति प्र.पी. 8-सी है।

10. इसी साक्षी ने पद क्रमांक 3 में साक्ष्य दी है कि दाखिल खारिज रजिस्टर के आधार पर अभियोक्त्री की जन्म तिथि से संबंधित प्र.पी. 9 का प्रमाण पत्र साक्षी ने पुलिस को दिया था जिसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है। कक्षा पांचवी की अंकसूची वर्ष 2015-16 प्रकरण में संलग्न है जो प्र.पी. 3 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है।

11. डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.7) रेडियोलॉजिस्ट ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 09.06.2016 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 24.05.2016 को एक्स-रे टेक्निशियन ए.के. सेन ने अभियोक्त्री पिता कुंवरसिंह उम्र 12 वर्ष निवासी ग्राम जैरासी थाना बिरसा जिला बालाघाट की उम्र निर्धारण हेतु दाहिने कूल्हे की हड्डी, कलाई की हड्डी, कोहनी की हड्डियों का एक्स-रे किया था। प्लेट नंबर 5037 था उसे महिला आरक्षक चंद्रकला क्रमांक 1232 ने एक्सरा कराने लाया था। एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर साक्षी ने पाया कि उसकी अलना हड्डी के आलिकेनन प्रोसेस के आसिफिकेशन सेंटर दिखाई दे रहे थे, जुड़े नहीं थे। रेडियस हड्डी के हेड के आसिफिकेशन दिखाई दे रहे थे, किंतु जुड़े नहीं थे। इलियकक्रेस के आसिफिकेशन सेंटर दिखाई नहीं दे रहे थे। साक्षी ने उक्त आधार पर अभिमत



दिया है कि अभियोक्त्री की उम्र 12 वर्ष होना निर्धारित की जाती है। परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 10 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पद क्रमांक 3 में स्वीकार किया है कि आसिफिकेशन टेस्ट में निर्धारित आयु दो वर्ष कम या ज्यादा हो सकती है।

12. आयु के संबंध में उभयपक्षों द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर घटना दिनांक को अभियोक्त्री की आयु 10 वर्ष 05 माह से 12 वर्ष की अवधि के मध्य की होना पाया जाता है। तदनुसार घटना दिनांक को अभियोक्त्री बालक होकर 12 वर्ष से कम आयु की है।

13. अभियोक्त्री (अ.सा.2) ने अपने मुख्य कथन के पद क्रमांक 1 से 3 में साक्ष्य दी है कि उपस्थित आरोपी उसका पिता है। घटना रात्रि के अपने घर में सो रही थी। उसके पिता अभियुक्त परछी में सो रहे थे। उसके बाद उसके पिता जी उठकर आए उन्होंने साक्षी के साथ गलत काम किया। आरोपी ने साक्षी का कपड़ा उतार दिया, चड्डी उतारकर गलत काम किया। आरोपी साक्षी के साथ जब गलत काम कर रहा था तब उसे लग रहा था कि वह मर जाएगी। पिता ने जब गलत काम किया तब वह धरती पर लेटी थी। साक्षी के पिता बुरा काम करते समय साक्षी के पास सोए थे। साक्षी ने अपनी दोनों जांघों के बीच में (प्रायवेट पार्ट) पर बाएं हाथ लगाकर बताया कि उसके पिता जी यहां पर कुछ धका रहे थे जिससे उसे लग रहा था कि वह मर जाएगी।

14. इसी साक्षी ने कथन किया है कि उसे दर्द होने पर उसने उसके पिता के हिलते समय कहा था कि नहीं पापा, नहीं पापा तब आरोपी ने कहा कि चुप रहे नहीं तो काट दूंगा। उसके पिता के बार-बार हिलने के कारण और यहां दर्द होने के कारण उसे लग रहा था कि वह मर जाएगी। कुछ देर बाद

वह बेहोश हो गई। सुबह होश आया तब अभियुक्त ने कहा कि यह बात किसी को बताएगी तो वह मार डालेगा। यह बात उसने दूसरे दिन मामा के गांव जाकर भाई को बताई थी, बड़ी मम्मी रूनियाबाई को नानी के घर जाने के पहले बात बताई थी। बड़ी अम्मा रूनिबाई ने बात सुनकर साक्षी की मम्मी को बुलाया था। बड़ी मां और स्वयं की मां के साथ रिपोर्ट करवाने थाना गई थी, घटना की पूरी बात पुलिस को बताई थी, रिपोर्ट प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15. इसी साक्षी ने आगे कथन किया है कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बाद साक्षी के दस्तखत के समय क्या लिखा है कि पढकर बताया था फिर साक्षी ने हस्ताक्षर किए थे। पुलिस ने मेडिकल जांच हेतु साक्षी की सहमति प्र. पी. 6 की ली थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने अस्पताल भेजा था जहां डॉक्टर मेडम ने साक्षी की जांच की थी। पुलिस ने एक्सरा कराया था, पुलिस वाले गांव आए थे। घटनास्थल में जिस कमरे में वह सोई थी वह जगह उसने पुलिस को बताई थी तब पुलिस ने मौकानक्शा प्र.पी. 5 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 व 6 में दिए गए सभी बचाव के सुझावों को साक्षी ने इंकार किया है।

16. श्रीमती सरवन्तीबाई (अ.सा.1) ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि बुधवार रात में अभियोक्त्री के साथ जब वह घर में नहीं थी तब उपस्थित आरोपी साक्षी के पति ने साक्षी की पुत्री के साथ बलात्कार कर लिया। अभियोक्त्री ने उसकी बड़ी अम्मा रूनियाबाई को घटना की बात बताई थी, रूनियाबाई ने शनिवार के दिन जब वह उत्तरटोला से वापस आयी थी तब यह बात उसे बताई थी। अभियोक्त्री उस समय डर के कारण अपने मामा के घर

मानिकपुर पीपरटोला चली गई थी। साक्षी स्वयं ग्राम मानिकपुर पीपरटोला गई, डर के कारण अभियोक्त्री ने साक्षी को कुछ नहीं बताया किंतु जब वह साक्षी के साथ घर आयी तब उसने बताया कि बुधवार की रात्रि में खाना खाकर जब वह अंदर सोये थे तब 9:00 बजे रात को आरोपी ने अभियोक्त्री को जगाया, अभियोक्त्री पेशाब के लिए गई फिर अभियोक्त्री ने नहीं पापा, नहीं पापा कहकर चिल्लाई तो आरोपी ने टंगिया दिखाकर कहा कि चिल्लाएगी तो काट देगा, अभियोक्त्री का मुंह दबा दिया था, आरोपी ने अभियोक्त्री की इज्जत लूट ली थी जिससे वह बेहोश हो गई थी। किसी को घटना की बात बताने पर आरोपी उसे जान से खतम कर देगा धमकी दी थी।

17. घटना की रिपोर्ट करने साक्षी स्वयं अभियोक्त्री के साथ थाना बिरसा गई थी जहां अभियोक्त्री ने प्र.पी. 1 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसके बाद चिकित्सीय परीक्षण हेतु साक्षी की सहमति प्र.पी. 2 की ली थी, जिला चिकित्सालय बालाघाट में अभियोक्त्री का मुलाहिजा कराया था। पुलिस ने अभियोक्त्री की कक्षा पांचवी की अंकसूची प्र.पी. 3 की जप्त कर जप्ती पत्र प्र.पी. 4 बनाया था। घटनास्थल बताने पर मौकानक्शा प्र.पी. 5 बनाया था। पद क्रमांक 4 में कथन किया है कि साक्षी को उसके पति द्वारा उसकी बेटी अभियोक्त्री के साथ बलात्कार होने की जानकारी हुई तब उसने उसका वह अंग देखा था जन्म से बच्ची का जैसा अंग रहता है वैसा नहीं था, बलात्कार करने से अंग खराब हो गया था। घटना के बाद तीसरे नंबर की बेटी अभियोक्त्री खाना नहीं पाती थी, श्वास ठीक से नहीं ले पाती थी, कहीं दाहिने तरफ कभी बायीं तरफ सिर करती थी। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5, 6 में बचाव में दिए गए सुझाव को इंकार किया है।



18. देशरी (अ.सा.4) ने साक्ष्य दी है कि आरोपी कुंवरसिंह उसका पिता है, अभियोक्त्री छोटी बहन है, साक्षी की मां का नाम सरवंतीबाई है। घटना के समय साक्षी घर पर नहीं थी, अपने छोटे भाई के साथ मामा-मामी के घर गई थी, मां घर पर नहीं थी, घर में अभियोक्त्री और उसके पिता थे। जब साक्षी मामा के घर से वापस आयी तो अभियोक्त्री ने बताया था कि उसके साथ रात में बुरा काम बलात्कार आरोपी ने किया है। उसके बाद साक्षी अपनी छोटी बहन मामा के घर मानिकपुर गई थी, साक्षी की मां मजदूरी में खूंटटोला गई थी। अभियोक्त्री ने साक्षी को बताया था कि पिता ने उससे कहा था कि किसी को बताएगी तो टंगिया से काट देगा। अभियोक्त्री ने यह भी बताया था कि घटना के बात सुबह बड़ी मम्मी रूनियाबाई को बताई थी। पुलिस ने बयान लिए थे, अभियोक्त्री की अंकसूची जप्त की थी। जप्ती पत्र प्र.पी. 4 बनारया था जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना उसके सामने नहीं हुई। यह इंकार किया है कि अभियोक्त्री ने घटना के बारे में नहीं बताया है। यह इंकार किया है कि आज वह झूठ बयान दे रही थी।

19. रूनियाबाई (अ.सा.5) ने साक्ष्य दी है कि वह आरोपी कुंवरसिंह को पहचानती है जो साक्षी की बहन सरवंती का पति है। अभियोक्त्री आरोपी की पुत्री है। घटना इस वर्ष जेठ माह की है। उस समय आरोपी के घर में अभियोक्त्री व आरोपी थे। सुबह 10 बजे वह रोड से जा रही थी तब अभियोक्त्री ने उसे बताया कि जब रात में वह सो रही थी तो उपस्थित आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया है, इज्जत खराब की है। अभियोक्त्री ने साक्षी को अपना गुप्तांग दिखाया था और कहा था कि उसकी मां को खबर कर दो। पुलिस ने पूछताछ कर साक्षी का बयान लिया था। साक्षी ने सरवंती जहां काम करती थी

वहां जाकर बताया था तब वे दोनों अभियोक्त्री को साथ लेकर थाना बिरसा गये थे। पुलिस ने अभियोक्त्री का परीक्षण कराया था। बचाव में दिए गए सुझाव को इंकार किया है।

20. डॉ. दर्शना चतुरमोहता (अ.सा.11) ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि दिनांक 22.05.16 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में महिला चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को अभियोक्त्री पिता कुंवरसिंह उम्र 12 वर्ष जाति गोंड निवासी जैरासी थाना बिरसा से महिला आरक्षक चंद्रकला बंजारे क्रमांक 1232 के द्वारा साक्षी के समक्ष डॉक्टर परीक्षण के लिए लाया गया था। परीक्षण में पाया कि उसकी माहवारी नहीं आयी थी, अभियोक्त्री के चेहरे, मुंह, बाएं गाल पर 3-4 खरोंच के निशान थे, अन्य बाहरी चोट के निशान नहीं थे, अन्य जांच हेतु वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ को रेफर किया था, उम्र निर्धारण हेतु एक्स-रे की सलाह दी थी। परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 14 है जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

21. डॉ. पुष्पा डी. धुर्वे (अ.सा.12) ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 23.05.2016 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ थी तब थाना बिरसा की महिला आरक्षक चंद्रकला बंजारे क्रमांक 1232 ने अभियोक्त्री पिता कुंवरसिंह उम्र 12 वर्ष निवासी-जैरासी को विशेषज्ञ की राय के लिए साक्षी के समक्ष रात्रि 10:00 बजे लाया था उसका परीक्षण करने पर डॉ. दर्शना चतुरमोहता ने परीक्षण में रिपोर्ट जो दी थी वैसा ही पाया था।

22. इसी साक्षी ने आगे कथन किया है कि अभियोक्त्री का आंतरिक परीक्षण करने पर पाया था कि अभियोक्त्री का हाईमन वैलइंटेक्ट है, प्रायवेट पार्ट पर खरोंच का निशान नहीं था, कोई स्त्राव नहीं था। पद क्रमांक 2 में कथन किया है कि जितना संभव था साक्षी ने अभियोक्त्री की दो स्लाइड तैयार

करके अभियोक्त्री का अंडरवियर सीलबंद कर संबंधित महिला आरक्षक को सौंप दिया था। अभियोक्त्री के गुप्तांग के आसपास प्यूबिक हेयर नहीं थे इसलिए प्रिज्वर नहीं किए थे। बलात्कार के संबंध में निश्चित मत नहीं दिया था क्योंकि उसके साथ इंटरमोर्स नहीं हुआ था। परीक्षण प्र.पी. 14 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी की संपूर्ण रिपोर्ट है बी से बी भाग पर हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री के शरीर पर चोट नहीं थी, अभियोक्त्री के साथ बलात्संग नहीं हुआ था।

23. चंद्रकला बंजारे महिला आरक्षक क्रमांक 1232 (अ.सा.13) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 22.05.15 को थाना बिरसा में महिला आरक्षक के पद पर पदस्थ थी तब थाना बिरसा के अपराध क्रमांक 66/16 की अभियोक्त्री उम्र 12 वर्ष को महिला प्रधान आरक्षक क्र. 822 सुलेखा द्वारा शासकीय जिला चिकित्सालय बालाघाट भेजने पर प्र.पी. 12 के आवेदन के साथ अभियोक्त्री को लेकर वह गई थी जहां डॉ. चतुरमोहता ने अभियोक्त्री की जांच की थी, जांच रिपोर्ट प्र.पी. 14 की साक्षी को दी थी, प्र.पी. 14 के सी से सी भाग पर साक्षी का नाम, क्रमांक लेख है। प्र.पी. 14 की एम.एल.सी. साक्षी को सौंपी गई थी, के बाबद प्र.पी. 14 के डी से डी भाग पर हस्ताक्षर है। महिला चिकित्सक ने उम्र निर्धारण हेतु एक्सरे कराने की सलाह दी थी जो इ से इ भाग पर लेख है।

24. इसी साक्षी ने पद क्रमांक 2 में कथन किया है कि प्र.पी. 14 की परीक्षण रिपोर्ट स्लाइड, अंडरवियर थाना लाकर पेश की थी जिसकी जप्ती दिनांक 23.05.16 को प्रधान आरक्षक सोमलाल कावरे ने बनाई थी जो प्र.पी. 6 है जिसपर साक्षी के हस्ताक्षर है। दिनांक 07.06.16 को अभियोक्त्री की कथन की विडियो रिकार्डिंग की डी.व्ही.डी. साक्षी ने संजय चौकसे निरीक्षक के समक्ष

पेश की थी जिसकी जप्ती पूर्व से प्र.पी. 7 है जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में बचाव में दिए गए सुझाव को इंकार किया है।

25. श्रीमती सुलेखा मरकाम (अ.सा.9) महिला प्रधान आरक्षक क्रमांक 822 ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 22.05.16 को वह थाना मलाजखण्ड में महिला आरक्षक के पद पर पदस्थ थी। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बैहर से संदेश प्राप्त होने पर वह थाना मलाजखण्ड से थाना बिरसा गई थी। वहां अभियोक्त्री ने साक्षी को बताकर प्रथम सूचना प्र.पी. 1 की लेख कराई थी। प्र.पी. 1 के बी से बी भाग पर साक्षी के ए से ए भाग पर अभियोक्त्री के हस्ताक्षर है। प्र.पी. 1 के सरल क्रमांक 12 की संपूर्ण इबारत साक्षी ने अभियोक्त्री के बताएनुसार लेख कर अपराध क्रमांक 66/2016 अंतर्गत धारा 376 (1)(2), 506 भा.द.वि. तथा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध कायमी की थी, उसके बताएनुसार कथन लेख किए थे। अपराध कायमी पश्चात अभियोक्त्री की मां से प्र.पी. 2 की सहमति प्राप्त की थी जिस पर अभियोक्त्री ने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किए थे, मां ने अंगूठा लगाया था, प्र.पी. 9 का फार्म भरकर महिला आरक्षक चंद्रकला बंजारे क्रमांक 1232 के साथ जिला चिकित्सालय परीक्षण हेतु भेजा था, प्र.पी. 9 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में बचाव में दिए गए सुझाव को इंकार किया है।

26. आकाश द्विवेदी (अ.सा.3) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 23.05.16 को थाना बिरसा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था तब प्रधान आरक्षक सोमलाल ने महिला आरक्षक चंद्रकला द्वारा 2 सीलबंद पैकेट पेश करने पर आरक्षक रमेश के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्र प्र.पी. 6 बनाया था जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के ब से ब भाग पर रमेश के तथा स से स भाग पर सोमलाल के हस्ताक्षर है। इसी साक्षी ने आगे कथन किया है कि दिनांक 07.06.16 को महिला आरक्षक

चंद्रकला के द्वारा पेश करने पर 1 डी.व्ही.डी. साक्षी और आरक्षक पूरन बैरागी के समक्ष निरीक्षक संजय चौकसे ने जप्त कर जप्ती पत्र प्र.पी. 7 बनाया था जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के ब से ब भाग पर पूजा के स से स भाग पर निरीक्षक संजय चौकसे के हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि सभी हस्ताक्षर थाने में किए थे। सोमलाल कावरे प्रधान आरक्षक (अ.सा.16) ने जप्ती बाबद समान साक्ष्य दी है।

27. डॉ. एम. मेश्राम (अ.सा.8) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 23.05.2016 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे तब थाना बिरसा के आरक्षक रमेश क्रमांक 740 ने कुंवरसिंह पिता छरकू उम्र 38 वर्ष निवासी जैरासी को साक्षी के समक्ष लैंगिक परीक्षण हेतु दोपहर 3:00 बजे लाया था। साक्षी द्वारा परीक्षण करने पर पाया गया था कि उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षण तथा शीस्न पूर्ण रूप से विकसित था। अभियुक्त के वीर्य की 2 स्लाइड, प्यूबिक हेयर जप्त कर सीलबंद कर संबंधित आरक्षक को सौंप दी थी। साक्षी के मतानुसार अभियुक्त संभोग करने में सक्षम था। परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 11 है जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर है।

28. अनिल मरकाम पटवारी हल्का नंबर 49 (अ.सा.10) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 02.06.16 को पटवारी हल्का नंबर 49 ग्राम पल्हेरा तहसील बिरसा में पटवारी के पद पर पदस्थ था। तहसील कार्यालय बिरसा के आदेश पर अपराध क्रमांक 66/2016 के घटनास्थल का नजरीनक्शा बनाए जाने हेतु आदेश प्राप्त होने पर दिनांक 04.06.16 को ग्राम जैरासी गया था, अभियोक्त्री के बताएनुसार घटनास्थल का पंचनामा बनाकर उपस्थित साक्षीगण के समक्ष सुनाया था और उनके हस्ताक्षर कराए थे, पंचनामा प्र.पी. 12 है जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर है। अभियोक्त्री की निशादेही पर बनाया हुआ नजरीनक्शा प्र.पी. 13



है जिसपर साक्षी के हस्ताक्षर है। दिनांक 06.06.2016 को थाना प्रभारी बिरसा को प्रतिवेदन, पंचनामा, नजरीनक्शा प्रस्तुत किया था जो प्र.पी. 14 है जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष द्वारा दिए गए सुझाव को इंकार किया है।

29. दुर्गाप्रसाद हिरनखेड़े (अ.सा.14) सहायक उप निरीक्षक ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 23.05.16 को थाना बिरसा में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। साक्षी ने अभियुक्त कुंवरसिंह को गवाहों के समक्ष ग्राम जैरासी जामुनटोला में गिरफ्तार कर प्र.पी. 15 का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के तथा बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है जो उसने साक्षी के समक्ष किए थे। विवेचना के दौरान सुखवंती, रुनियाबाई के कथन लेखबद्ध किए थे। बचाव में दिए गए सुझाव को इंकार किया है।

30. संजय चौकसे (अ.सा.15) निरीक्षक ने प्रक्रिया बाबद साक्ष्य दी है जिसे लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5, 6, 7 में बचाव में दिए गए सुझाव को इंकार किया है।

31. उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया।

32. बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्री वैभव मिश्रा ने अंतिम तर्क में निवेदन किया है कि अभियोक्त्री की प्र.पी. 14 की चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट में हाईमन फटे होने की कोई रिपोर्ट नहीं है, हाईमन में खरोंच आने की रिपोर्ट नहीं है, प्रायवेट पार्ट पर सूजन होने के संबंध में रिपोर्ट नहीं है, थाना बिरसा के द्वारा स्लाइड व अन्य संपत्ति परीक्षण हेतु भेजी गई थी, विशेषज्ञ की रिपोर्ट में अभियोक्त्री की स्लाइड पर, अंडरवियर पर वीर्य के धब्बे होने की रिपोर्ट नहीं है, अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, अभियुक्त के विरुद्ध मौखिक साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य और चिकित्सक साक्षियों के कथन से नहीं होती है।

अभियुक्त गिरफ्तारी दिनांक से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है, दोषमुक्त किए जाने की याचना की है।

33. राज्य की ओर से श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. के द्वारा अंतिम तर्क के दौरान इस न्यायालय का ध्यान अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की ओर आकृष्ट कराते हुए निवेदन किया है कि इस मामले की घटना का दिनांक 18.06.2016 दिन बुधवार है। अभियोजन साक्षियों के कथन के अनुसार अभियोक्त्री की माता घर पर नहीं थी। अभियोक्त्री ने उसकी बड़ी अम्मा को घटना के दूसरे दिन अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की बात बताई तब बड़ी अम्मा ने अभियोक्त्री की मां को बुलवाया जब उसकी मां आयी तब अभियोक्त्री अपनी बड़ी अम्मा और मां के साथ थाना बिरसा शनिवार के दिन रिपोर्ट करने गई। इस प्रकार बुधवार रात के पश्चात् गुरुवार, शुक्रवार शनिवार तक के दिन व्यतीत हुए। उसके पश्चात् डॉ. दर्शना चतुरमोहता ने प्र.पी. 14 का परीक्षण किया। डॉ. दर्शना चतुरमोहता के द्वारा रेफर किए जाने पर डॉ. पुष्पा डी. धुर्वे अ.सा. 12 के द्वारा दिनांक 23.05.2016 को रात 10 बजे परीक्षण किया गया। इस प्रकार दिनांक 18.05.2016 की रात्रि 9 बजे से दिनांक 23.05.2016 के रात 10:00 बजे तक लगभग 96 घंटे बाद अभियोक्त्री का परीक्षण हुआ है इसलिए डॉ. पुष्पा डी. धुर्वे के द्वारा जो स्लाइड बनाई गई उसमें वीर्य के धब्बे न आना स्वभाविक है।

34. श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. द्वारा यह भी निवेदन किया कि अभियोक्त्री ने उसकी बड़ी अम्मा को अपना गुप्तांग दिखाया था, लड़कियों का गुप्तांग जैसा सामान्य होता है वैसा अभियोक्त्री का नहीं था बल्कि खराब हो गया था। घटना समय से 72 से 96 घंटे की अवधि बीतने पर महिला चिकित्सकों को अभियोक्त्री के गुप्तांग पर सूजन या रगड़ के निशान न दिखना

अभियोजन के लिए घातक नहीं है बल्कि अभियोक्त्री के द्वारा मुख्य कथन में दी गई साक्ष्य कि उसे दोनों जांघों के बीच के स्थान में जहां अभियोक्त्री ने न्यायालय को अपना बायां हाथ रखकर बताया में दर्द होना बताया है। अभियोक्त्री ने यह भी बताया है कि जब उसने नहीं पापा, नहीं पापा कहा तब अभियुक्त ने अभियोक्त्री का मुंह दबाया, अभियुक्त के हिलने के कारण उसे तकलीफ हो रही थी, साक्ष्य से स्पष्ट प्रमाण है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के योनि मार्ग में लैंगिक हमला किया अथवा लैंगिक हमला करने हेतु लिंग का संचालन किया। अभियोजन अपने मामले को संदेह से साक्ष्य से साबित करने में सफल हुआ है निवेदन किया है।

35. उभयपक्षों द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त घटना के समय अभियोक्त्री की योनि में स्वयं का लिंग का प्रवेशन करने में सफल नहीं हो पाया किंतु उसने अभियोक्त्री की योनि में लिंग के प्रवेशन हेतु, लैंगिक हमला करने के उद्देश्य से अथवा आशय से अभियोक्त्री की दोनों जांघों के बीच उसके दर्द होने वाले स्थान अर्थात् उसके प्रायवेट पार्ट के पास हिल-हिलकर लिंग का संचालन किया, इस हेतु उसने अभियोक्त्री की पहनी हुई चूड़ी स्वयं निकालकर हटाई। घर में अन्य कोई व्यक्ति न होने से जबकि वह पिता होकर अभियोक्त्री का संरक्षक था, कि विधिक स्थिति में उसने उपरोक्त अपराध किया है।

36. इस प्रकार धारा 375 (ग) भा.द.वि. के अधीन अभिव्यक्त कृत्य अभियुक्त द्वारा किया जाना उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य से संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है। साथ ही प्र.पी. 3 के प्रगति पत्रक रिपोर्ट कार्ड, प्र.पी. 4 के द्वारा जप्त अंकसूची में लेख जन्म तारीख, प्र.पी. 8-सी के दाखिल खारिज रजिस्टर की

सत्यापित प्रतिलिपि और प्र.पी. 9 के जन्म संबंधी शाला प्रमाण पत्र के अनुसार अभियोक्त्री की जन्म तारीख 07.12.2005 है जो अभियुक्त के द्वारा लिखाई गई जन्म तारीख होना सुरेन्द्र पटले (अ.सा.6) के कथन के अनुसार लेख है। साथ ही प्र.पी. 10 की एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार अभियोक्त्री की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई है। इस प्रकार अभियोक्त्री लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2 (1) (घ) के अनुसार बालक है और अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य धारा 3 (क) के अधीन कृत्य न होकर धारा 3 (ग) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में लेख विधिक स्थिति अनुसार होना प्रमाणित पाया जाता है।

37. अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि धारा 5 (ढ) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अनुसार अभियोक्त्री का अभियुक्त पिता है इसलिए उक्त प्रावधान में अभियुक्त का कृत्य होना भी प्रमाणित पाया जाता है जिसके लिए वह धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु दोषसिद्ध पाया जाता है।

38. धारा 3 (ग) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध धारा 3 (क) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से गुरुत्तर न होकर न्यून है इसलिए धारा 3 (ग) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप की विशिष्ट रूप से विरचना किए बिना दोषसिद्ध विधि के अनुसार किया जा सकता है। यह न्यायालय अभियुक्त को धारा 375 (ग) भा.द.वि. एवं धारा 3 (ग) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन दोषसिद्ध पाता है।

39. धारा 506 भा.द.वि. का अपराध अभियुक्त के द्वारा घटना के समय अथवा बाद में टंगिया अर्थात् कुल्हाड़ी दिखाकर किसी को घटना की बात न बताए जाने, चिल्लाने पर जान से खत्म कर देने की धमकी के कारण अवयस्क अभियोक्त्री अपना बचाव नहीं कर पायी बल्कि अभियुक्त के द्वारा घटना के समय अभियोक्त्री के नहीं पापा, नहीं पापा कहकर चिल्लाने के प्रयास के समय अभियुक्त के द्वारा अभियोक्त्री का मुंह दबाए जाने पर अभियोक्त्री के बाएं गाल पर 3-4 खरोंच के निशान जो डॉ. दर्शना चतुरमोहता अ.सा. 11 के द्वारा पाकर परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 14 में लेख किए गए हैं, से अभियोक्त्री भयभीत हो चुकी थी और उसने घटना शीघ्र को नहीं बताई बाबद साक्ष्य होने से धारा 506 भा.द.वि. का अपराध प्रमाणित पाया जाता है।

40. इस प्रकार अभियुक्त कुंवरसिंह को धारा 375 (ग), 506 भा.द.वि. एवं धारा 3 (ग), धारा 5 (ढ) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन दोषसिद्ध पाया जाता है।

41. दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु निर्णय कुछ देर के लिए स्थगित रखा जाता है।

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
शृंखला न्यायालय बैहर

42. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त कुंवरसिंह को सुना गया। अभियुक्त की ओर से श्री वैभव मिश्रा अधिवक्ता ने दण्ड के प्रश्न पर तर्क करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है। इसके पूर्व कोई दोषसिद्धि



नहीं है, गरीब-निर्धन मजदूर व्यक्ति है, परिवार का कर्ता सदस्य है, इसलिए उसे न्यूनतम दण्ड से दंडित किए जाने तथा अर्थदण्ड की राशि कम से कम अधिरोपित किए जाने की याचना की गई।

43. श्री वैभव मिश्रा अधिवक्ता द्वारा दण्ड पर किए गए तर्कों को विचार में लिया गया।

44. संपूर्ण मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य तथा तर्कों के आधार पर अभियुक्त मनीष कुमार परते को निम्नानुसार दंड से दंडित किया जाता है :-

(A) धारा 375 (ग) भा.द.वि. के आरोपित अपराध के लिये दोषसिद्ध पाते हुए धारा 376 भा.द.वि. के अधीन **10 (दस) वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 1,000/-रुपए (एक हजार रुपए)** के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को इस अपराध हेतु **30 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास** भुगताया जावे।

(B) धारा 506 भा.द.वि. के आरोपित अपराध के लिये दोषसिद्ध पाते हुए **01 (एक) वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 1,000/-रुपए (एक हजार रुपए)** के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को इस अपराध हेतु **06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास** भुगताया जावे।

(C) धारा 3 (ग) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध हेतु दोषसिद्ध पाते हुए धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन **07 (सात) वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 1,000/-रुपए (एक रुपए)** के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को इस अपराध हेतु **21 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास** भुगताया जावे।

(D) धारा 5 (ढ) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध हेतु दोषसिद्ध पाते हुए धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन 10 (दस) वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 1,000/-रुपए (एक रुपए) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को इस अपराध हेतु 30 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

(E) सभी धाराओं के दण्डादेश की सज़ाएं साथ-साथ भुगताई जावे।

(F) अभियुक्त कुंवरसिंह की गिरफ्तारी दिनांक 23.05.2016 की है। दिनांक 23.05.2016 से आज दिनांक 09.11.2017 तक लगातार अभिरक्षा में रहा है उसकी कुल न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 01 वर्ष 05 माह 18 दिवस है, जो सज़ा में मुजरा की जावे। धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण-पत्र बनाया जावे।

(G) निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जावे।

45. मामले में जप्तशुदा संपत्ति वैजार्नल स्लाइड, सिमन स्लाइड अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे डिक्टेशन पर टंकित किया  
गया।

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर